उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 23/2859/71-1-2014-ग-28/2005
लखनऊ : दिनांक 20 अक्टूबर 2014
कार्यालय-ज्ञाप

डा0 आर0 एन0 शाही, चिकित्साधिकारी, ओपेक चिकित्सालय, कैली बस्ती को सेवा स्थानान्तरण के आधार पर बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में प्रवक्ता, ई0एन0टी0 के पद पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-464/71-1-05-ग-28/2005, दिनॉक 17-05-2005 द्वारा 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए, तैनात किया गया था। मेडिकल कालेज, गोरखपुर में चिकित्सा शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत सेवा स्थानान्तरण अवधि समय-समय पर बढ़ायी जाती रही है। इससे पूर्व डा0 आर0 एन0 शाही की सेवा स्थानान्तरण अवधि कार्यालय ज्ञाप संख्या-2072/71-1-13-ग-20/2005, दिनॉक 14-10-2013 द्वारा दिनॉक 28-10-2013 के पश्चात् एक वर्ष तक के लिए बढ़ायी गयी थी। उक्त अवधि दिनॉक 28-10-2014 को समाप्त हो रही है। डा0 आर0 एन0 शाही को कार्यालय ज्ञाप संख्या-5017/71-1-2009-जी-258/2009, दिनॉक 29-10-2009 द्वारा आचार्य के रूप में पदनामित किया गया है।

2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2014/2089, दिनॉक 04-08-2014 पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय मेडिकल कालेज, गोरखपुर के ई0एन0टी0 विभाग में कार्यरत डा0 आर0 एन0 शाही की सेवा स्थानान्तरण अवधि दिनॉक 28-10-2014 के पश्चात् 01 वर्ष अथवा नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए बढ़ाये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

संजय कुमार उपाध्याय
संयुक्त सचिव।

संख्या:- 23/2859(1)/71-1-2014- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
3- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5- वित्त नियंत्रक, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
6- निदेशक, ओपेक चिकित्सालय, कैली, बस्ती।
7- कोषाधिकारी, गोरखपुर।
8- संबंधित चिकित्सा अधिकारी।
9- चिकित्सा अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in